रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267279
CG-DL-E-30102025-267279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
No. 716]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 801(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.—** आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में एक सौ पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.—** नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा,अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	निकिल चांदी तांबा- 60 प्रतिशत निकिल - 20 प्रतिशत जस्ता - 20 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.—** सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.—** आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
[नियम 4 देखें]

एक सौ पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाई परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाई परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"150"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में आर्य समाज 150 वर्ष समारोह का लोगो अंकित होगा। सिक्के के ऊपरी भाग पर देवनागरी लिपि में "**आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह**" और सिक्के के निचले भाग पर अंग्रेजी में "**ARYA SAMAJ 150 YEAR CELEBRATION**" उत्कीर्ण होगा। लोगो के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष '**1875**' और दाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष '**2025**' उत्कीर्ण होगा । देवनागरी लिपि में गायत्री मंत्र का पहला भाग हिंदी पाठ "आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह" के नीचे उत्कीर्ण होगा और देवनागरी लिपि में गायत्री मंत्र का दूसरा भाग अंग्रेजी पाठ "ARYA SAMAJ 150 YEAR CELEBRATION" के ऊपर उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची
[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्य वर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	32 ग्राम	तांबे, निकिल और जस्ते के लिए 1/100वें हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात तांबे के अंश में 59 % से 61 % तथा जस्ते और निकिल के अंश मे 19 % से 21 % तक का अंतर हो सकेगा।	1/40वें हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 31.2 ग्राम से 32.8 ग्राम तक हो सकता है।

[फा.सं. 02/35/2025-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2025

G.S.R. 801(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of One Hundred Fifty Year Celebration of Arya Samaj) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.—** The coin of One Hundred Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of One Hundred Fifty Year Celebration of Arya Samaj.

3. **Dimension and composition of coin.—** The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Nickel Silver Copper - 60 per cent. Nickel - 20 per cent. Zinc - 20 per cent.

4. **Design.—** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.—** The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of One Hundred Fifty Year Celebration of Arya Samaj and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE
[See Rule 4]

ONE HUNDRED FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devanagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**150**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the logo of Arya Samaj 150 Year Celebration at the centre. The inscription "**आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह "** shall be written in Devnagari script on the upper periphery of the coin and the inscription **"ARYA SAMAJ 150 YEAR CELEBRATION"** in English shall be written on the lower periphery of the coin. The year '**1875**' in international numerals shall be written on the left side of the logo and the year **'2025'** in international numerals shall be written on the right side of the logo. The first half of Gayatri Mantra in Devanagari script shall be inscribed below Hindi Text "आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह" and the second half of Gayatri Mantra in Devanagari script shall be inscribed above English Text of "ARYA SAMAJ 150 YEAR CELEBRATION".

SECOND SCHEDULE
[See Rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	32 Grams	$1/100^{th}$ plus or minus for Copper, Nickel and Zinc, that is to say, Copper content could vary from 59% to 61% and Zinc & Nickel content could vary from 19% to 21%	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 31.2 grams to 32.8 grams

[F. No. 02/35/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA